राजस्थान सरकार

कार्यालय नियन्त्रक, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग, सहकार पथ, 22 गोदाम, जयपुर

(दूरभाष : 2740834, 2740838)

क्रमांक : प.3( )स्था/स्टे.मो.गै/2014–15/ 8892 दिनांक 26.11.2014

विज्ञापन

तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदों पर संविदा पुनर्नियुक्ति /विपरित प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती

राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग, (मुख्यालय) जयपुर एवं मण्डलीय अधीक्षक मोटर गैराज उदयपुर एवं जोधपुर कार्यालय हेतु राजस्थान सिविल सेवा पेंशन निमय,1996 के नियम 164–ए एवं कार्मिक (क–2) नियम विभाग के परिपत्र सं.एफ 17 (10)डी ओ पी /ए–II/94 जयपुर, दिनांक 26 मई, 2014 में निर्धारित शर्तो एवं मानदेय पर 64 वर्ष से कम आयु के स्वस्थ सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाऐं एवं वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 1(2)वित्त/नियम/2003 पार्ट–I जयपुर, दिनांक 17.02.2007 में दी गयी सामान्य शर्तो एवं निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों /बोर्ड इत्यादि से विपरित प्रतिनियुक्ति पर विभाग में तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदों पर नवीन भर्ती /पदोन्नति से नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों के उपलब्ध होने अथवा एक वर्ष तक के लिये जो भी पहले हो, तक के लिये, रखे जाने हेतु इच्छुक एवं पात्र कर्मचारियों को वॉक इन इन्टरव्यू हेतु आमंत्रित किया जाता है।

1.रिक्तियों का विवरण:

क्रस	पद का नाम	सख्या	वेतन बैण्ड
1	मुख्य अधीक्षक	01	रू 15,600–39,100+ ग्रेड पे रू 7200/–
2	वरिष्ठ आटोमोबाईल अभियन्ता	01	रू 15,600–39,100+ ग्रेड पे रू 6000/–
3	आटोमोबाईल अभियन्ता	01	रू 15,600–39,100+ ग्रेड पे रू 5400/–
4.	मण्डलीय अधीक्षक	03	रू 9300–34,800+ ग्रेड पे रू 4200/–
5.	फौरमेन (मैकनिकल)	01	रू 9300–34,800+ ग्रेड पे रू 3600/–
6.	मैकनिक ग्रेड प्रथम	05	रू 5200–20,200+ ग्रेड पे रू 2800/–
7.	मैकेनिक ग्रेड द्वितीय	02	रू 5200–20,200+ ग्रेड पे रू 2400/–
8.	वाहन चालक	74	रू 5200–20,200+ ग्रेड पे रू 2400/–

2.पद के लिए शैक्षिक योग्यता एवं अनुभवः–

क्रस	पद का नाम	योग्यता (ए) एवं अनुभव	पद जिससे भरा जाना है	विवरण
1	मुख्य अधीक्षक	**अनिवार्य योग्यताएंः** (i) भारत मे विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की आटोमोबाईल / यांत्रिक अभियांत्रिकी मे डिग्री। **अनुभव :** (i) संयत्र रख रखाव,मशीन शाप, इंजन पुनरनुकूलन और आटोमोबाईल मरम्मत से आनुषंगिक अन्य व्यवसायों का कार्य करने वाली आटोमोबाईल वर्कशाप में 5 वर्ष का अनुभव।	राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों / मण्डलों एवं स्थानीय निकायों में पदस्थापित से विपरित प्रतिनियुक्ति पर	समतुल्य पद पर कार्यरत
2	वरिष्ठ आटोमोबाईल अभियन्ता	**अनिवार्य योग्यताएंः** i) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की आटोमोबाइल / यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिग्री **अनुभव :** i) संयत्र रख रखाव, मशीन शाप, इंजन पुनरनुकूलन और आटोमोबाइल मरम्मत से आनुषिंक अन्य व्यवसायो का कार्य करने वाली आटोमोबाईल वर्कशाप में 5 वर्ष का अनुभव	राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों / मण्डलों एवं स्थानीय निकायों में पदस्थापित से विपरित प्रतिनियुक्ति पर	समतुल्य पद पर कार्यरत
3	आटोमोबाईल अभियन्ता	**अनिवार्य योग्यताएंः** i) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविघालय की आटोमोबाईल / यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिग्री **अनुभव :** संयंत्र रखरखाव, मशीन शाप, इंजन पुनरनुकूलन और आटोमोबाईल मरम्मत से आनुषंगिक अन्य व्यवसायों का कार्य करने वाली आटोमोबाईल वर्कशाप में ,आटोमोबाईल अभियांत्रिकी में डिग्री धारक के संबंध में एक वर्ष का अनुभव या यांत्रिकी अभियांत्रिकी में डिग्री धारक के संबंध में दो वर्ष का अनुभव।	राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों / मण्डलों एवं स्थानीय निकायों में पदस्थापित से विपरित प्रतिनियुक्ति पर अथवा सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा	राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों / मण्डलों एवं स्थानीय निकायों इत्यादि पर समतुल्य पद पर कार्यरत एव सेवानिवृत्ति कार्मिक के मामले में समतुल्य पद से सेवानिवृत्त
4.	मण्डलीय अधीक्षक	(i) Diploma in Automobile Engineering with 3 years experience OR (ii) Diploma in Mechanical Engineering with 5 years experience in Automobileline in supervisory capcity	राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों / मण्डलों एवं स्थानीय निकायों में पदस्थापित से विपरित प्रतिनियुक्ति पर अथवा सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा	राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों / मण्डलों एवं स्थानीय निकायों इत्यादि पर समतुल्य पद पर कार्यरत एव सेवानिवृत्ति कार्मिक के मामले में समतुल्य पद से सेवानिवृत्त

5.	फौरमेन (मैकनिकल)	Diploma in Automobile Engineering or Diploma in Mechanical Engineering With 2 year experience in Automobile line	राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों /मण्डलों एवं स्थानीय निकायों में पदस्थापित से विपरित प्रतिनियुक्ति पर अथवा सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा	राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों /मण्डलों एवं स्थानीय निकायो इत्यादि पर समतुल्य पद पर कार्यरत एवं सेवानिवृत्ति कार्मिक के मामले में समतुल्य पद से सेवानिवृत्त
6.	मैकनिक ग्रेड प्रथम	secondary or equivalent examination passed with ITI certificate in respective trade with 3year experience in the trade of Automobile line	राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों /मण्डलों एवं स्थानीय निकायों में पदस्थापित से विपरित प्रतिनियुक्ति पर अथवा सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा	राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों /मण्डलों एवं स्थानीय निकायों इत्यादि पर समतुल्य पद पर कार्यरत एवं सेवानिवृत्ति कार्मिक के मामले में समतुल्य पद से सेवानिवृत्त
7.	मैकेनिक ग्रेड द्वितीय	ITI certificate in respective trade with 2 year experience in Automobile line	राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों /बोर्ड इत्यादि से विपरित प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा	राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमो /मण्डलों एवं स्थानीय निकायों इत्यादि पर समतुल्य पद पर कार्यरत एवं सेवानिवृत्ति कार्मिक के मामले में समतुल्य पद से सेवानिवृत्त
8.	वाहन चालक	Educated up to viii class with Heavy & light duty driving licence & 3 years experience as a driver & must also possesses the following%& 1 weight not more than 65 kg 2 singht 6X6 with or without glasses. 3-Knowledge of Road side repairs & efficiency indriving to be examined by trade Test	राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों /मण्डलों एवं स्थानीय निकायों में पदस्थापित से विपरित प्रतिनियुक्ति पर अथवा सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा	राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों /मण्डलों एवं स्थानीय निकायों इत्यादि पर समतुल्य पद पर कार्यरत एव सेवानिवृत्ति कार्मिक के मामले में समतुल्य पद से सेवानिवृत्त

3. **पदवार पदस्थापन की स्थिति तथा वॉक इन इन्टरव्यू हेतु स्थान एवं दिनांक का विवरणः–**

क्र. स.	पदनाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	पद जहां रिक्त है	वॉक इन इंटरव्यू हेतु दिनांक /समय/स्थान		
				दिनांक	समय	स्थान
1.	मुख्य अधीक्षक	01	मुख्यालय जयपुर	10.12.2014	सायंकाल 4.00 बजे	प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन एवं स्टेट मोटर गैराज विभाग के शासन सचिवालय स्थित कक्ष नम्बर 5008
2.	वरिष्ठ आटोमोबाईल अभियन्ता	01	मुख्यालय जयपुर			
3.	आटोमोबाईल अभियन्ता	01	मुख्यालय जयपुर			
4	मण्डलीय अधीक्षक	03	01 पद मुख्यालय जयपुर एवं 01 पद उदयपुर एवं 01 पद जोधपुर			
5.	फौरमेन (मैकनिकल)	01	मुख्यालय जयपुर	15.12.2014	प्रातः 11.00 बजे	कार्यालय नियन्त्रक,राज.स्टेट मोटर गैराज विभाग, 22 गोदाम सहकार पथ, जयपुर
6.	मैकनिक ग्रेड प्रथम	05	मुख्यालय जयपुर			
7.	मैकेनिक ग्रेड द्वितीय	02	01 पद मुख्यालय जयपुर एवं 01 पद उदयपुर			
8.	वाहन चालक	74	70 पद मुख्यालय जयपुर एवं 01 पद जोधपुर एवं 03 पद उदयपुर	16.12.2014 (A से M तक)	प्रातः 11.00 बजे	कार्यालय नियन्त्रक,राज.स्टेट मोटर गैराज विभाग, 22 गोदाम सहकार पथ, जयपुर
				17.12.2014 (N से Z तक)	प्रातः 11.00 बजे	

नोटः– पदों में आवश्यकता अनुसार कमी /वृद्धि की जा सकती है।

4. आवेदन पत्र एवं अन्य दस्तावेज के संबंध में निर्देशः–

(i) सेवानिवृत्त कार्मिकों हेतु आवेदन पत्र एवं अन्य दस्तावेज परिशिष्ट 'क' से 'ग' पर उपलब्ध है।

(ii) राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों /मण्डलों एवं स्थानीय निकायों में पदस्थापित कार्मिकों के हेतु आवेदन पत्र एवं अन्य दस्तावेज परिशिष्ट 'घ' से 'ड' पर उपलब्ध है।

(iii) सेवानिवृत्त कार्मिक अधिकृत राजकीय चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं राज्य व केन्द्र सरकार राजकीय उपक्रम में नियोजित नही होने का प्रमाण पत्र (राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित) अवश्य साथ लावें।

(iv) वॉक इन इन्टरव्यू के समय आवेदन पत्र एवं उपरोक्त दस्तावेज साथ में लेकर आना होगा।

25-11-2014

नियन्त्रक

परिशिष्ट - 'क'

राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिए आवेदन प्रारूप

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम :
2. पिता का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. अर्हताएं :
5. मूल विभाग का नाम :
6. सेवानिवृत्ति के पूर्व धारित पद :
7. अनुभव :
8. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन + ग्रेड पे) (एलपीसी संलग्न है) :
9. मूल पेंशन राशि (पीपीओ संलग्न) :
10. धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृत्ति के समय) :
11. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार) :

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को लगाने के लिए राज्य सरकार के परिपत्र सं...दिनांक.................................में दिये गये सहमत निर्बंधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बंधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

जयपुरः

दिनांकः

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी
के हस्ताक्षर

परिशिष्ट–'ख'

सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाला करार

सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की संविदा पुनर्नियुक्ति पर सेवाऐं लेने के लिए कार्मिक विभाग के परिपत्र सं. ....दिनांक............... ....द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसरण में निम्नलिखित करार राजस्थान सरकार, जिस अभिव्यक्ति में राज्यपाल की ओर से संविदात्मक करार करने के लिए सक्षम सरकार का प्राधिकारी सम्मिलित है, (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और श्री ....पुत्र/पुत्री श्री...निवासी.. ....(जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के बीच किया जाता है। जिसके द्वारा निम्नलिखित रूप में यह करार किया जाता है :

1. संविदा वचनबंध द्वितीय पक्षकार को कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा और प्रथम पक्षकार इसे किसी भी समय समाप्त कर सकता है। द्वितीय पक्षकार इस प्रयोजन के लिए किसी प्रशासनिक, अर्द्ध–न्यायिक या न्यायिक अनुतोष का अवलम्ब लेने का हकदार नहीं होगा।
2. द्वितीय पक्षकार द्वारा मूल विभाग के अधीन की गई पूर्व सेवा, यदि कोई हो, की कोई सुसंगति नहीं होगी या उसे सेवा फायदों की किसी निरन्तरता के लिए गिना नहीं जायेगा।
3. संविदात्मक वचनबंध एक वर्ष की कालावधि के लिए या द्वितीय पक्षकार के 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, किया जाता है।
4. वचनबंध की संविदा कालावधि पर नवीकरण के लिए विचार किया जा सकेगा परन्तु संविदात्मक वचनबंध की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती......... ....का कार्य और आचरण संतोषजनक होना चाहिये। किसी भी दशा में संविदात्मक वचनबंध की निरन्तरता 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।
5. संविदात्मक समेकित पारिश्रमिक राशि इस शर्त के अध्यधीन प्रति मास ....रु. पर नियत की गई हैं कि समेकित पारिश्रमिक राशि सेवानिवृत्ति के समय के मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन+ग्रेड पे) में से मूल पेंशन राशि कम करने पर अवशेष रही राशि से अधिक नहीं होगी। द्वितीय पक्षकार को पारिश्रमिक समनुदेशित कार्य के संतोषजनक निर्वहन पर निर्भर होगा। किसी कमी की दशा में प्रथम पक्षकार तद्नुसार पारिश्रमिक अवधारित करने के लिए प्राधिकृत होगा।
6. संविदात्मक वचनबंध 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर समाप्त किये जाने के दायित्व के अधीन होगा।

7. द्वितीय पक्षकार एक कलेण्डर वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश का उपयोग करने का हकदार होगा। किसी भी प्रकार का कोई अन्य अवकाश अनुज्ञेय नहीं होगा।
8. प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक परिलब्धियों का 1/30 वां भाग काटा जायेगा।
9. अधिकारिता के भीतर कार्य स्थान सक्षम प्राधिकारी के नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा प्रथम पक्षकार की ओर से विनिश्चित किया जायेगा। द्वितीय पक्षकार को राजस्थान के भीतर या बाहर कहीं भी कार्य करने के लिए भी निर्दिष्ट किया जा सकेगा।
10. ऐसे व्यक्तियों को यात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्यमान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार अनुज्ञात किया जा सकेगा।
11. द्वितीय पक्षकार द्वारा समस्त नियमों और विनियमों, निदेशों और आदेशों का अनुपालन किया जाना है जो पहले से ही प्रवर्तन में है और जो संविदा कालावधि के दौरान जारी किये जा सकते हों।
12. पक्षकारों के बीच किसी विवाद को ऐसे प्राधिकारी को, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट किया जा सकेगा।

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर दिनांक सहित

साक्षी:

1.

2.

प्रथम पक्षकार की ओर से हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

साक्षी:

1.

2.

परिशिष्ट-'ग'

विभागाध्यक्ष का प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु सं. 1 से 10 तक तथ्य सत्य पाये गये हैं और श्री/श्रीमती.. पुत्र/पत्नी..जो सेवानिवृत्ति से पूर्व................................ पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के संबंध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती...की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय, श्री/श्रीमती........... ....रु. मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन + ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती .... अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती........... ....के विरूद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लंबित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरूद्ध ली जा रही हैं, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय सील

12/2014

परिशिष्ट 'घ'

राजस्थान सरकार

कार्यालय नियन्त्रक, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग, 22 गोदाम सहकार पथ, जयपुर

(दूरभाष : 2740834, 2740838)

आवेदन पत्र (विपरित प्रतिनियुक्ति हेतु)

1.	नाम	
2.	पिता का नाम	
3.	जन्म तिथि	
4	आवेदित पद का नाम	
5.	पता	
6.	स्थायी पता	
7.	शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करे)	
8.	कार्यारत विभाग/संस्थान का नाम	
9.	प्रथम नियुक्ति तिथि	
10.	प्रथम नियुक्ति पद	
11.	वर्तमान पद	
12.	वर्तमान वेतन (पे बैण्ड एवं ग्रेड पे)	
13.	आवेदित पद के लिए अनुभव	
14.	आवेदन पत्र के साथ दिये हुए प्रारूप में विभागाध्यक्ष द्वारा प्रसारित प्रमाण पत्र।	

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

वचनबंध

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि बिन्दु संख्या 1 से 14 तक की सूचना मेरी जानकारी में सत्य है मैने कोई तत्थ्य छिपाया नही है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

परिशिष्ट 'ड'

विपरित प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने वाले अधिकारियों कर्मचारियेां द्वार प्रस्तुत किय जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूपः–

(1) श्री ....पदनाम .... इस कार्यालय से ....(कार्यालय का नाम) अधिशेष घोषित नही किये गये है और ना ही इस संस्थान .. ..(कार्यालय का नाम) को बन्द करने का निर्णय लिया गया है।

(2) कर्मचारी दैनिक वेतन, स्थिर वेतन, संविदा पर नियुक्त कार्मिक नही है। यह एक नियमित कार्मिक है।

(3) श्री ....पैतृक संस्थान में वेतन श्रृंखला ....में कार्यरत है तथा यह नियमित रूप से चयन के फलस्वरूप सेवा में आये है।

(4) श्री ....को स्टेट मोटर गैराज में विपरित प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने में इस संस्थान.............................(कार्यालय का नाम) को कोई आपत्ति नही है। इनका व्यवहार संतोषजनक है।

राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों/
बोर्ड इत्यादि के विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर